प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

भाग – II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या – FP/CG/SubStatiion/145115/2021

1	**परियोजना/स्कीम का स्थान**		
(i)	राज्य/संघ शासित प्रदेश		छत्तीसगढ़
(ii)	जिला		कोण्डागांव
(iii)	वन प्रभाग		पूर्व भानुप्रतापपुर वनमंडल
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र (हेक्टयर में)		केशकाल परिक्षेत्र के संरक्षित वन खण्ड अडेंगा कक्ष क्रमांक पी. 1259 में से रकबा 3.24 हे.
(v)	वन की कानूनी स्थिति		संरक्षित वन खण्ड अडेंगा
(vi)	हरियाली का घनत्व		0.3 से 0.4
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल. एफ.आर.एल. – 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. – 4 मीटर भी संलग्न की जाए)		प्रजातिवार एवं गोलाईवार वृक्ष गणना पत्रक संलग्न है। पेज 27 से 29 तक संलग्न है ।
(viii)	भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।		प्रस्तावित स्थल चिकनी, दूमट एवं समतल क्षेत्र होने के कारण भूक्षरण होने की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी ।		वन क्षेत्र लगा हुआ है।
x	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण,, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयों अनुबंधित की जायें)		नहीं ।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणीजात की दुलर्भ/ संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों पाई जाती है, यदि हॉ/ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।		नहीं ।
xii	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारंपरिक स्थल/रक्षा		प्रस्तावित भूमि में किसी प्रकार से ऐतिहासिक एवं धार्मिक

वन मण्डलाधिकारी
केशकाल वन मण्डल
केशकाल (छ.ग.)

	प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारण इस क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण – पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।		स्थल स्थित नहीं है ।
08	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नही तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ।		आवेदक कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटैड कांकेर द्वारा ग्राम जामगांव में 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र निर्माण हेतु मांग की गई भूमि रकबा 3.24 हे. अपरिहार्य एवं न्यूनतम है ।
09	क्या अधिनियम उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नही) यहि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंध कार्य अभी भी चल रहें है।		नहीं ।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौंरा :–		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवक्रमित वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार		परियोजना के विरूद्ध दुगूने क्षेत्र में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु राजस्व वन भूमि के खसरा क्रमांक 1/58 में से रकबा 6.48 हे. का चयन किया गया है, जो कि नारंगी वन खण्ड डूडाबेड़मा कक्ष क्रमांक पी.2706 की सीमा से लगा हुआ है। भू–खण्ड की संख्या एक है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्त/ अवक्रमित वन क्षेत्रऔर आस – पास की वन सीमओं को दर्शाता मानचित्र ।		संलग्न है । (पेज क्रमांक..... से.....)
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि ।		प्रस्तावित क्षेत्र में आवेदक विभाग द्वारा जमा की जाने वाली राशि से मिश्रित एवं फलदार प्रजाति के पौध का रोपण किया जायेगा।
vi	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय ।		प्रतिपूरक वनीकरण योजना राशि 56,94,540/– रूपये का तैयार की गई है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्तांतरित किए जाए)		चयनित स्थल में प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र में मिश्रित एवं फलदार प्रजाति पौध के रोपण हेतु उपयुक्त है ।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कॉलम 7 (गपए गपप) 8 और 9 में पूछे गए		संलग्न है ।

	तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		
12	विभाग/जिला प्रोफाईल :–		
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र		7944.34 वर्ग किलोमीटर
(ii)	जिले का वनक्षेत्र		4084.077 वर्ग किलोमीटर
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में आया गया कुल वन क्षेत्र		15=550-356 हेक्टेयर
(क)	1980 से जिला/प्रभार में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण		36 प्रकरण 680.627 हेक्टेयर
(ख)	दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि		वनमण्डल अंतर्गत वनभूमि स्वीकृत योजनाओं के विरूद्ध अब तक 2.5 हे. भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण किया गया है ।
(ग)	वनेत्तर भूमि		नहीं ।
(iv)	2008 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति		2520.828 हेक्टेयर
(क)	वनभूमि पर		विभिन्न परियोजनाओं के विरूद्ध रोपित किये गये क्षेत्रें के मूल्यांकन से प्रतिपूरक वनीकरण में वृद्धि हुई है ।
(ख)	वनेत्तर भूमि		वनेत्तर भूमि पर वनमण्डल में क्षतिपूर्ति वनीकरण नहीं हुआ है ।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश		**प्रस्ताव को स्वीकृत किए जाने की सिफारिश की जाती है।** कोण्डागांव जिले के केशकाल वनमंडल में 132/33 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण होने से उपकेन्द्र के निर्माण से संपूर्ण बस्तर संभाग में निर्बाध रूप से विद्युत वितरण किया जा सकेगा। संपूर्ण संभाग में चल रहे तथा प्रस्तावित भारी उद्योगों को भी विद्युत वितरण में सुगमता होगी, कृषि कार्यों में भी सहायता मिलेगी तथा आमजनों को भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग छ.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि.कांकेर द्वारा चाही गई भूमि का रकबा 3.24 हे. मात्र है, जिससे वानिकी पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर नहीं होगा। साथ ही 132/33 के.व्ही. उप केन्द्र निर्माण भी शासकीय प्रक्रिया का एक भाग है, जो राष्ट्रहित/जनहित में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण राष्ट्रहित/जनहित होने के कारण प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

तारीख : .....

स्थान :– .....

आर.के.जांगड़े.(भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल,
केशकाल